FORM NO IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर)

अशोक कुमार बनाम वीरीसिंह

मुकदमा किस्मः– अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,   नम्बर :– 193 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.11.2022	सायल के अभिभाषक एवं सायल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सायल के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं क्षति सायल के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए दर्ज रजिस्टर किया जावे। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैर सायल इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 471 / 158 / 0.16,वाके ग्राम दीनापुर पटवार हल्का नरायना कटता तहसील डीग में स्थित आराजीयात में मजाहमत मदाखलत नहीं करने एवं सायल को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करने हेतु गैर सायल को आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.12.2022 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। गैर सायल की तलबी जरिये नोटिस कराई जावे। यदि उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आयन्दा पत्रावली दिनांक 30.12.2022 को वास्ते तलवी पेश हो। [signature] **(हेमन्त कुमार)** **उपखण्ड अधिकारी** **डीग(भरतपुर)**	
08/4/24	आज यह पत्रावली प्रार्थी के [illegible] वकील। इस्त. प्रा. पत्र पेश [illegible] को [illegible] प्रार्थी के प्रा. पत्र पर स्वीकार (?) किया जाकर [illegible] प्रा. पत्र को [illegible] स्वीकार (?) किया जाता है। पत्रावली [illegible] [signature] उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.	अशोक कुमार [illegible] 8/4/24